

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे
1	2	3	4	5	6	7
1.	महेशकुमार गुप्ता प्रधानाचार्य, राजमावि, रामसिंहपुरा (जयपुर)	28.09.67	09.07.97 प्र0अ0	08.07.17 20 वर्ष	09.07.17 20 वर्षीय	15600-39100 8800/-
2.	प्रतिभा यादव से.नि. प्रधानाचार्य राजमावि, कोलगांव (अलवर)	28.01.58	01.07.87 व0अ0	30.06.17 30 वर्ष	01.07.17 30 वर्षीय	15600-39100 8800/-
ड.	ओमप्रकाश चौहान, बी0ई0ई0ओ0, बिलाड़ा (जोधपुर)	15.08.60	07.09.95 व्याख्याता	06.09.15 20 वर्ष	07.09.15 20 वर्षीय	15600-39100 8800/-
4.	संतलाल प्रधानाचार्य राजमावि, बड़ीसिड (जोधपुर)	15.11.60	01.07.85 व0अ0	30.06.15 30 वर्ष	01.07.15 30 वर्षीय	15600-39100 6000/-

उक्त प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा। एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।



(नथमल डिडेल)

आईएएस,

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर।

क्र.सं:शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/जय-जोध-पाली/2018/06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)

2- संबंधित संस्था प्रधान

3- संबंधित अधिकारी

4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग

दिनांक: 14-03-18



अनुवृत्त निदेशक(कार्मिक),

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर।